

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चाणौद
पीठासीन अधिकारी:- श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 08/2016
दायरा तिथि 18.02.2016
निर्णय तिथि 09.05.2016

वादी-

पुखराज पुत्र सकाराम उर्फ सेकारामजी
जाति मेगवंशी निवासी चाणौद
तहसील सुमेरपुर

बनाम:

प्रतिवादीगण-

- 1-वसाराम पुत्र सकाराम उर्फ सेकारामजी
- 2-रमेश पुत्र बाबुलालजी
- 3-मोहनलाल पुत्र बाबुलालजी
- 4-राजु पुत्र कपूराराम नाबालिग जरिए कुदरती
वली माता शारदा पत्नी कपूरारामजी
- 5-शारदा पत्नी कपूरारामजी
- 6-पूनाराम पुत्र कनीयाजी
- 7-अशोक पुत्र कनीयाजी
- 8-अंशीबाई पत्नी संतोकलालजी
- 9-रूपाराम गोदपुत्र संतोकलालजी
- 10-कूकाराम उर्फ पुका पुत्र चिमनाजी
- 11-पीरा पुत्र चिमनाजी
- 12-देवा पुत्र चिमनाजी
- 13-पकीया उर्फ पुखा पुत्र सकाजी
- 14-दाना उर्फ दौला पुत्र सकाजी
- 15-स्व.वेनाराम पुत्र रगारामजी के का.मु.-
15/1-मुलाराम पुत्र वेनारामजी
15/2-जेठाराम पुत्र वेनारामजी
15/3-खुमाराम पुत्र वेनारामजी
15/4-रूपाराम पुत्र वेनारामजी
- 16-मगाराम पुत्र देवारामजी
- 17-लाला पुत्र वगताजी
तमाम जाति मेगवंशी निवासी चाणौद
- 18-राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
(भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली



वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 R.T.Act,1955

-: निर्णय :-

दिनांक 09.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यइस प्रकार है-

(1) कि यह वाद पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र चाणौद में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपरिथत। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में वर्णित वाद-विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कतिपय प्रावधान के तहत उक्त वादपत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा चाणौद-1 तहसील सुमेरपुर में स्थित वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 17 तक की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1606 रकबा 3.16 हेक्टर के बारे में वादपत्र पद सं.02 में वर्णित हिस्सा मुजब एवं इसी प्रकार सरहद मौजा चाणौद-1 तहसील सुमेरपुर में स्थित वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 17 तक की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1607, 1623, 1624 कुल रकबा 18.89 हेक्टर के बारे में वादपत्र के पद सं.03 में वर्णित हिस्सा मुजब बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स के तहत बंटवाडा का अनुतोष चाहा गया है।

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

(2) कि कथित प्रकरण में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर संलग्न पटवारी हल्का चाणौद, भू-अभिलेख निरीक्षक चाणौद व नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार बंटवाडा किए जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की है, फलतः पक्षकारान का प्रगस्तुत राजीनामा बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड एवं प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार वादपत्र में वर्णित अभिकथनों की पुष्टि होती है तथा इस के संदर्भ में हमारे विधिक विचारण पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से पेश किए गये राजीनामे व इसके संलग्न पटवारी हल्का चाणौद, भू-अभिलेख निरीक्षक चाणौद व नायब तहसीलदार सुमेरपुर की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार अंतिम बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र पक्षकारों द्वारा अपासी सहमति से प्रस्तुत किया गया राजीनामा व संलग्न प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुरूप स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा चाणौद-1 तहसील सुमेरपुर वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1606 रकबा 3.16 हेक्टर एवं हाल खसरा नं. 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1607, 1623, 1624 कुल रकबा 18.89 हेक्टर के बारे में निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है-

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
(1)	अंशीदेवी पत्नी संतोकलाल, रूपाराम गोदपुत्र संतोकलाल कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	1601	0.14 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
		1606	1.47 हेक्टर	चा.दो.जा.दो.
(2)	पूना, अशोक पि. कानीया कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	02	1.61 हेक्टर	—
		1599/2	0.13 हेक्टर	जा.दो.
		1606/1	1.11 हेक्टर	चा.दो.जा.दो.
		1607	0.37 हेक्टर	बंजड
(3)	वसाराम, पुखराज पि. सकाराम, पुखराज पि. सकाराम, रमेश, माहनलाल पि. बाबूलाल, राजू पुत्र कपूराराम नाबालिग जरिए माता शारदा, शारदा पत्नी कपूराराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	03	1.61 हेक्टर	—
		1599/1	0.13 हेक्टर	जा.दो.
		1606/2	0.58 हेक्टर	चा.दो.जा.दो.
		1607/1	0.90 हेक्टर	बंजड
(4)	दानाराम, पुखाराम पि. सुखाराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	03	1.20 हेक्टर	—
		1599/4	0.28 हेक्टर	जा.दो.
		1601/2	0.65 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
(5)	मगाराम पुत्र देवाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार	1602	0.27 हेक्टर	चा.दो.जा.दो.
		03	1.20 हेक्टर	—
(6)	वेनाराम पुत्र रगाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार	1599/5	0.16 हेक्टर	जा.दो.
		1602/1	1.04 हेक्टर	चा.दो.जा.दो.
(7)	लालाराम पुत्र वगताराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	02	1.20 हेक्टर	—
		1599/6	0.04 हेक्टर	जा.दो.
(8)	कूकाराम पुत्र चिमना, पीरा पुत्र चिमना कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	1602/2	1.16 हेक्टर	चा.दो.जा.दो.
		02	1.20 हेक्टर	—
(8)	कूकाराम पुत्र चिमना, पीरा पुत्र चिमना कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	1599/3	0.41 हेक्टर	जा.दो.
		1601/1	0.79 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
(8)	कूकाराम पुत्र चिमना, पीरा पुत्र चिमना कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	02	1.20 हेक्टर	—
		1603/2	1.30 हेक्टर	जा.दो.चा.दो.
		01	1.30 हेक्टर	—



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पालां

लगातार-3

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	उत्पत्ति	किस्म
(9)	पकीया पुत्र सका, दाना पुत्र सका कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	1594/3	1.39 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		01	1.39 हेक्टर	—
(10)	पीरा, देवा, मुख्या पि. मिमना कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	1598/1	1.26 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		1599	2.85 हेक्टर	जा.दो.
		1603	0.40 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		1597/1	0.23 हेक्टर	या.दो.जा.दो.
		04	4.74 हेक्टर	—
(11)	पकीया, दाना पि. सुखा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	1603/4	0.89 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		1598	1.62 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		1597	2.09 हेक्टर	या.दो.जा.दो.
		1596	0.23 हेक्टर	मै.मु.लाटा
		04	4.74 हेक्टर	—
(12)	बदस्तुर जमावंदी	1594	0.03 हेक्टर	मै.मु.सडा
		1595	0.01 हेक्टर	मै.मु.बरा
		1601/3	0.08 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		1602/3	0.08 हेक्टर	या.दो.जा.दो.
		1603/1	0.12 हेक्टर	जा.दो.या.दो.
		1623	0.01 हेक्टर	मै.मु.बरा
		1624	0.01 हेक्टर	मै.मु.बरा
		07	0.34 हेक्टर	—

नोट:- उपरोक्त अंतिम बंटवाडा हेतु प्रस्तावित बंटवाडा शिफर्ट व नजारी नक्शा इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग माना जायेगा।

तहसीलदार सुमेरपुर एवं पटवारी इल्का चाणौद 1 को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अंतिम बंटवाडा मुजब राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरगीम कर पालना सुनिश्चित करें। माफिक निर्णय डिक्री-पर्चा मुर्तिव दी।

यह निर्णय बरीत आज दिनांक 09.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र चाणौद में सुनाया गया।



उप-खाण्ड अधिकारी
राजस्व विभाग
केम्प चाणौद